रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2009/भाद्र 26, 1931
No. 543] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2009/BHADRA 26, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 686(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए वायुयान (संशोधन) नियमावली, 2009, का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 16 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए इसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी गई ।

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियमावली, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को वायुयान (11वां संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में, अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची VI

शास्तियां

(नियम 161 देखें)

प्रवर्ग I - दो वर्षो से अनधिक अवधि के कारावास या दस लाख रूपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों से दण्डनीय अपराध :

क्रम सं0	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम या नियमावली
1.	रजिस्ट्रीकरण के बिना वायुयान उड़ाना	नियम 5 का खंड (क)
2.	विधिमान्य उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र के बिना या उड़नयोग्यता स्थिति बनाए रखने के बिना वायुयान उड़ाना।	नियम15 के उपनियम (I) का खंड (i)
3	नियम 29 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 29
4.	नियम 38क के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 38क
5	विनिर्दिष्ट न्यूनतम कर्मीदल के बिना वायुयान का प्रचालन।	नियम 38क का उप-नियम (7)
6.	विधिमान्य और उपयुक्त पायलट अनुज्ञप्ति, रेटिंग या चिकित्सीय योग्यता के बिना वायुयान उड़ाना।	नियम 6, 6क और 39ग
7.	दुर्घटनाएं अधिसूचित करने या रिपोर्ट करने में विफलता।	नियम 68 और नियम 69
8.	अनुमति के बिना अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का प्रचालन।	नियम 134 का उप-नियम (I)
9.	अनुमति के बिना गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का प्रचालन।	नियम134 का उप-नियम (3)
10.	नियम 158 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 158
11.	नियम 158क के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 158क

प्रवर्ग II - एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या पांच लाख रूपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों से दण्डनीय अपराध :

क्रम सं0	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम या नियमावली
1.	नियम 5क के उल्लंघन में वायुयान उड़ाना।	नियम 5क
2.	नियम 7क के उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी निदेशों का अननुपालन।	नियम 7क का उप-नियम (2)
3	आयुद्ध, गोला बारूद, विस्फोटकों, सैनिक भण्डार इत्यादि का अप्राधिकृत वहन।	नियम 8

4.	रेडियो तार साधित्र से संबंधित नियम 9 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 9
5	नियम 12 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 12
6.	सरकारी विमानक्षेत्र पर या उड़ान के दौरान वायुयान से अप्राधिकृत फोटो लेना।	नियम 13
7.	हवाई कार्य के लिए वायुयान का अप्राधिकृत प्रयोग।	नियम14
8.	उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र के निबंधनों और शर्तो का अननुपालन।	नियम 15 के उपनियम (l) का खंड (ii)
9.	वायुयान पर आवश्यक उपयोज्य उपस्करों के बिना विमान को उड़ाना।	नियम 15 के उपनियम (l) का खंड (iv)
10.	नियम 18 के उपनियम (l) के तहत जारी निर्देशों का अननुपालन।	नियम 18 के उपनियम (2)
11.	नियम 24 के उपनियमों (l), (3) और (4) के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 24 के उपनियम (l), (3) व (4)
12.	वायुयान में ईंधन भरने से संबंधित नियम 25क के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 25क
13.	वायुयान को ठहराने संबंधी नियम 25ख के उपबंधों का उल्लंघन ।	नियम 25ख
14.	वायु छतरियों द्वारा उतरने व वस्तुएं गिराने संबंधी नियम 26 के उपबंधों का उल्लंघन ।	नियम 26
15.	वायुयान के अप्राधिकृत भागों में व्यक्तियों का वहन	नियम 27
16.	नियम 28 या 28क के उल्लंघन में वायुयान को उड़ाना।	नियम 28 व 28क
17.	नियम 32 के तहत जारी रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाणपत्र के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 32
18.	नियम 38ख के उपनियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 38ख का उपनियम (1)
19.	लॉगबुक में किसी प्रविष्टि को नष्ट, विकृत इत्यादि करना या उसमें कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करना।	नियम 67ख
20.	नियम 134 के उपनियम (1क) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट किसी प्रकार की स्थिति का उल्लंघन या अननुपालन करना।	नियम 134 का उपनियम (1क)

21.	द्विपक्षीय समझौते या अस्थायी प्राधिकरणों के अंतर्गत अनुज्ञा के साथ संलग्न स्थितियों का उल्लंघन या अननुपालन करना।	नियम 134 का उपनियम (2)
22.	गैर-अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन हेतु अनुमति के साथ संलग्न शर्तो का उल्लंघन या अननुपालन।	नियम 134 का उपनियम (3)
23.	नियम 140 में निहित अपेक्षाओं का अननुपालन।	नियम 140
24.	वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में या अपने कर्त्तव्य निर्वहन करने वाले किसी व्यक्ति को बाधा पहुँचाना।	नियम 159
25.	वायुयान परिवहन उपक्रम द्वारा अनुसूची XI के उपबंधों का उल्लंघन ।	अनुसूची XI

प्रवर्ग III - छह मास से अनधिक अवधि के कारावास या दो लाख रूपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों से दण्डनीय अपराध :

क्रम सं0	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम या नियमावली
1.	बिना राष्ट्रिकता तथा रजिस्ट्रीकरण चिह्न के किसी वायुयान को उड़ाना।	नियम 5 का खंड (ख)
2.	नियम 11 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 11
3.	वायु नियमों का अननुपालन।	नियम 16
4.	नियम 24 के उपनियम (2) के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 24 का उपनियम (2)
5.	नियम 29क के उपबंधों का उल्लंघन ।	नियम 29क
6.	वायुयान के स्वामित्व में परिवर्तन को अधिसूचित करने में असफल रहना।	नियम 33
7.	बीमारी या चोट के पश्चात् स्वस्थ घोषित किए बिना अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करना या चोट या बीमारी की विस्तृत सूचना महानिदेशक को अधिसूचित नहीं करना।	नियम 42 का उपनियम (2)

8.	नियम 42क के उपबंधों का अतिक्रमण।	नियम 42क
9.	उड़ानकाल के अंकन से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 67क
10.	घटनाओं को अधिसूचित करने में असफल रहना।	नियम 77ख
11.	बिना अनुज्ञप्ति वाले या अननुमोदित विमानक्षेत्र से किसी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा द्वारा किसी यात्री वाहक या मालवाहक वायुयान द्वारा भाड़े या पुरस्कार हेतु श्रृंखलाबद्ध अवतरणों और प्रस्थानों का प्रचालन करना।	नियम 78 का उपनियम (1)और नियम 11 के उपनियम (1) और (2)
12.	किसी विमानक्षेत्र को समुचित तथा पर्याप्त चिन्हांकित स्थिति में अनुरक्षण न करना और किसी प्रकार से अनुपयोगी होने की स्थिति को महानिदेशक को सूचित न करना।	नियम 83 का उपनियम (5)
13.	नियम 133 क के तहत जारी निर्देशों का अननुपालन।	नियम 133क
14.	नियम 140क के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 140क
15.	अनुमोदित संगठन, अनुरक्षण प्रणाली और निर्देशिकाओं की अनुपलब्धता।	नियम 155क के उपनियम (1), (2), (3) व (4)
16.	महानिदेशक की अपेक्षाओं के अनुसार अभिलेखों को न रखना।	नियम 155क का उपनियम (7)
17.	किसी प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकना।	नियम 156 का उपनियम (3)
18	नियम 157 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 157

प्रवर्ग IV- तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माना, या दोनों से दंडनीय अपराधः

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम या नियवावली
1.	नियम 7 द्वारा यथापेक्षित दस्तावेजों को न ले जाना ।	नियम 7
2.	विमान में उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र साथ न ले जाना।	नियम 15 के उप-नियम (1) का खंड (iii)

3416 GI/09-2

3.	नियम 15 के उप-नियम (2) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किए बिना माइक्रोलाइट वायुयान उड़ान।	नियम 15 का उप-नियम (2)
4.	नियम 17 के द्वारा यथापेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना ।	नियम 17
5.	नियम 24ग के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 24ग
6.	नियम 25 के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 25
7.	नियम 29ख के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 29ख
8.	नियम 37 के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 37
9.	नियम 37क के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 37क
10.	नियम 38ख के उपनियम (3), (5), (6) और (7) के उपबंधों का उल्लंघन।	नियम 38ख के उपनियम (3), (5), (6) और (7)
11.	जब भौतिक दशा का अपेक्षित मानक से अधिक क्षय हो जाए तब अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकार का प्रयोग करना।	नियम 42 का उप-नियम (4)
12.	नियम 44 के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 44
13.	अनुमोदन के बिना वैमानिक मार्ग बीकन की स्थापना या परिवर्तन।	नियम 65
14.	नकली प्रकाश को बुझाने या स्क्रीन करने संबंधी अनुदेशों का अननुपालन।	नियम 66
15.	लॉग बुकों के जारी करने और अनुरक्षण को शासित करने वाले उपबंधों का अननुपालन।	नियम 67
16.	निरीक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकना।	नियम 82
17.	महानिदेशक के अनुमोदन के बिना विमान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अवतरण क्षेत्र, भवन या विमानक्षेत्र की संरचना में फेरबदल।	नियम 83 का उप-नियम (2)
18.	टैरिफ प्रभारों को न दर्शाना या असमान टैरिफ लगाना।	नियम 86 का उप-नियम (I)
19.	विमानक्षेत्र के टर्मिनल भवन में अनधिकृत प्रवेश	नियम 90 का उप-नियम (I)
20.	विमानक्षेत्र के संचलन क्षेत्र में किसी व्यक्ति या यान का अनधिकृत प्रवेश	नियम 90 का उप-नियम (2) और नियम 11 का उप-नियम (3)

21.	विमानक्षेत्र के संचलन क्षेत्र में किसी पशु, वस्तु या पक्षी को छोड़ना।	नियम 90 का उप-नियम (2)
22.	नियम 92 के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 92
23.	नियम 135 के उप-नियम (2क) और (2ख) के उपबंधों का अननुपालन ।	नियम 135 के उप-नियम (2क) और (2ख)
24.	विमान में सवार होने पर प्रचालन मैनुअल को साथ न ले जाना।	नियम 140ख का उपनियम (3)
25.	विमान में सवार होने पर मार्ग निर्देशिका को साथ न ले जाना।	नियम 140ग
26.	नियम 141 के उप-नियम (1) के उपबंधों का अननुपालन।	नियम 141 का उप-नियम (1)
27.	मैनुअलों में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अननुपालन।	नियम 155क का उप-नियम (5)
28.	प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत कार्मिक को निदेश देने के लिए किसी उपबंध का न होना।	नियम 155क का उप-नियम (6)
29.	किसी नियम के द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध कोई कार्य करना या किसी नियम के द्वारा या उसके अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी कार्य के करने में विफलता, जो इस अनुसूची में कहीं विनिर्दिष्ट नहीं है।	--------- "

[फा. सं. ए. वी. 11012/12/09-ए]
प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. वी - 26, तारीख 23 मार्च 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II, खंड - 3, उपखंड (i) तारीख 16 अप्रैल, 2009 में प्रकाशित सा.का.नि. 254 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2009 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2009

G.S.R. 686(E).—Whereas the draft of the Aircraft (Amendment) Rules, 2009 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 532(E), dated the 16th July, 2009, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 16th July, 2009;

And whereas the objections or suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:-

1. (1) These rules may be called the Aircraft (11th Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, for Schedule VI, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE VI

Penalties

(See rule 161)

Category I — Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine not exceeding ten lakh rupees, or with both:

S.No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Flying an aircraft without registration.	Clause (a) of rule 5
2.	Flying an aircraft without valid certificate of airworthiness or without being maintained in airworthy condition.	Clause (i) of sub-rule (1) of rule 15
3.	Contravention of the provisions of rule 29.	Rule 29
4.	Non-compliance with the provisions of rule 38A.	Rule 38A
5.	Operating an aircraft without specified minimum crew.	Sub-rule (7) of rule 38A
6.	Flying an aircraft without valid and appropriate pilot's licence, rating or medical fitness.	Rules 6, 6A and 39C
7.	Failure to notify or report accidents.	Rules 68 and 69
8.	Operation of a scheduled air transport service without permission.	Sub-rule(1) of rule 134
9.	Operation of a non-scheduled air transport service without permission.	Sub-rule(3) of rule 134
10.	Contravention of the provisions of rule 158.	Rule 158
11.	Contravention of the provisions of rule 158A.	Rule 158A

Category II — Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding one year or with fine not exceeding five lakh rupees, or with both:

S. No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Flying an aircraft in contravention of rule 5A.	Rule 5A
2.	Non-compliance with the direction issued under sub-rule (2) of rule 7A.	Sub-rule (2) of rule 7A
3.	Unauthorised carriage of arms, ammunitions, explosives, military stores etc.	Rule 8

4.	Contravention of the provisions of rule 9 relating radio-telegraph apparatus.	Rule 9
5.	Contravention of the provisions of rule 12.	Rule 12
6.	Unauthorised photography at a Government aerodrome or from an aircraft in flight.	Rule 13
7.	Unauthorised use of aircraft for aerial work.	Rule 14
8.	Non-compliance with the terms and conditions of certificate of airworthiness.	Clause (ii) of sub-rule (1) of rule 15
9.	Flying an aircraft without having on board the required serviceable equipment.	Clause (iv) of sub-rule (1) of rule 15
10.	Non-compliance with the directions issued under sub-rule (1) of rule 18.	Sub-rule (2) of rule 18
11.	Contravention of the provisions of sub-rules (1), (3) and (4) of rule 24.	Sub-rules (1), (3) and (4) of rule 24
12.	Contravention of the provisions of rule 25A relating to fuelling of aircraft.	Rule 25A
13.	Contravention of the provisions of rule 25B relating to housing of aircraft.	Rule 25B
14.	Contravention of the provisions of rule 26 relating to dropping of articles and descent by parachutes.	Rule 26
15.	Carriage of persons in unauthorised parts of aircraft.	Rule 27
16.	Flying an aircraft in contravention of rule 28 or 28A.	Rules 28 and 28A
17.	Violation of the provisions of temporary certificate of registration issued under rule 32.	Rule 32
18.	Contravention of provisions of sub-rule (1) of rule 38B.	Sub-rule (1) of rule 38B
19.	Destruction, mutilation etc. of any entry in the log books or making of any false and fraudulent entry therein.	Rule 67B

20.	Contravention of or non-compliance with any of the conditions specified in the order under sub-rule (1A) of rule134.	Sub-rule(1A) of rule 134
21.	Contravention of or non-compliance with the conditions attached to the permission under the bilateral agreement or to the temporary authorisation.	Sub-rule(2) of rule 134
22.	Contravention of or non-compliance with the conditions attached to the permission for operation of non-scheduled services.	Sub-rule(3) of rule 134
23.	Non-compliance with requirements contained in rule 140.	Rule 140
24.	Obstructing any person acting in the exercise of his powers or in discharge of his duties under the provisions of the Aircraft Rules, 1937.	Rule159
25.	Contravention of the provisions of Schedule XI by an air transport undertaking.	Schedule XI

Category III — Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both:

S.No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Flying an aircraft not bearing nationality and registration marks.	Clause (b) of rule 5
2.	Contravention of the provisions of rule 11.	Rule 11
3.	Non-compliance with the rules of the air.	Rule 16
4.	Contravention of the provisions of sub-rule (2) of rule 24.	Sub-rule (2) of rule 24
5.	Contravention of the provisions of rule 29A.	Rule 29A
6.	Failure to notify change in ownership of the aircraft	Rule 33

7.	Exercising the privileges of a licence without being declared fit after sickness or injury or not notifying the details of sickness or injury to the Director-General.	Sub-rule(2) of rule 42
8.	Violation of the provisions of rule 42A.	Rule 42A
9.	Contravention of the provisions relating to logging of flight time.	Rule 67A
10.	Failure to notify incidents.	Rule 77B
11.	Operation of a schedule air transport service or a series of landing and departures by any aircraft carrying passengers and cargo for hire and reward from an unlicenced or non-approved aerodrome.	Sub-rule (1) of rule 78 and sub-rules (1) and (2) of rule11
12.	For not maintaining an aerodrome in a fit state with adequate markings and not informing the Director-General of any unserviceability.	Sub-rule (5) of rule 83
13.	Non-compliance with the directions issued under rule 133A.	Rule 133A
14.	Non-compliance with the provisions of rule 140A.	Rule 140A
15.	Non-availability of approved organisation, maintenance system and manuals.	Sub-rules (1),(2), (3) and (4) of rule 155A
16.	For not maintaining records as required by the Director-General.	Sub-rule (7) of rule 155A
17.	Denial of access to an authorised person.	Sub-rule(3) of rule 156
18.	Contravention of provisions of rule 157.	Rule 157

Category IV – Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one lakh rupees, or with both:

S.No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Non-carriage of documents as required by rule 7.	Rule 7
2.	Non-carriage of certificate of airworthiness or other certificates on board the aircraft.	Clause (iii) of sub-rule (1) of rule 15

3.	Flying Microlight aircraft without meeting the requirements laid down in sub-rule (2) of rule 15.	Sub-rule (2) of rule 15.
4.	Non-production of the documents as required by rule 17.	Rule 17
5.	Contravention of the provisions of rule 24C.	Rule 24C
6.	Contravention of the provision of rule 25.	Rule 25
7.	Contravention of the provisions of rule 29B.	Rule 29B
8.	Non-compliance with the provisions of rule 37.	Rule 37.
9.	Contravention of the provisions of rule 37A.	Rule 37A
10.	Contravention of the provisions of sub-rules (3), (5), (6) and (7) of rule 38B.	Sub-rules (3) , (5), (6), and (7) of rule 38B
11.	Exercising of the privileges of a licence when the physical condition has deteriorated below the required standard.	Sub-rule (4) of rule 42
12.	Non-compliance with the provisions of rule 44.	Rule 44
13.	Establishment or alteration of aeronautical beacons without approval.	Rule 65
14.	Non-compliance with the direction to extinguish or screen false lights.	Rule 66
15.	Non-compliance with the provisions governing the issue and maintenance of log books.	Rule 67
16.	Denial of excess to an authorised person for inspection.	Rule 82
17.	Alteration in the landing area, building or any structure of the aerodrome affecting the safety of the aircraft without approval of the Director-General.	Sub-rule (2) of rule 83
18.	Non-display of tariff charges and levy of non-uniform tariff.	Sub-rule (1) of rule 86
19.	Unauthorised entry into terminal building of an aerodrome.	Sub-rule (1) of rule 90
20.	Unauthorised entry of any person or vehicle in the movement area of an aerodrome.	Sub-rule (2) of rule 90 and sub-rule (3) of rule 11
21.	Leaving any animal, object or bird in the movement area of an aerodrome.	Sub-rule (2) of rule 90

22.	Non-compliance with the provisions of rule 92.	Rule 92
23.	Non-compliance with the provisions of sub-rules (2A) and (2B) of rule 135.	Sub-rules (2A) and (2B) of rule 135
24.	For not carrying Operations Manual on board the aircraft.	Sub-rule(3) of rule 140B
25.	For not carrying Route Guide on board the aircraft.	Rule 140C
26.	Non-compliance with the provisions of sub-rule (1) of rule 141.	Sub-rule (1) of rule 141
27.	Non-compliance with the instructions contained in the manual(s).	Sub-rule (5) of rule 155A
28.	For not having a provision for imparting instructions to personnel authorised to certify.	Sub-rule (6) of rule 155A
29.	The doing of any act prohibited by or under any rule, or failure to do any act required to be done by or under any rule, not specified elsewhere in this Schedule.	———

[F. No. AV. 11012/12/09-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 254(E) dated the 16th April, 2009, published in Part II, Section (3), Sub-section (i) of the Gazette of India on the 16th April, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.